

अंचल कार्यालय, पाकुड़

(देखे अभिलेखहस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश : पत्रक : ता०.....०७/५/१६..... से१५/५/१६..... तक
लगान निर्धारण वाद अभिलेख सं०.....०१...../१६-१७

अंचल-पाकुड़ (सदर), जिला -पाकुड़

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
०७/५/१६	आवेदक-श्री मृणाल कान्ति दुबे, पिता-स्व० सुभाष चन्द्र चक्रवर्ती (दुबे), सा०-राजापाड़ा, थाना-पाकुड़, जिला-पाकुड़ के द्वारा मौजा-पाकुड़ के थाना संख्या-१२८, खाता संख्या-५७७, के अंतर्गत खेसरा संख्या-१०५७, रकवा-००बी०-०९क०-०१धु०, भूमि किस्म भूमि-उदवास्तु के लगान धार्य की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। अभ्यावेदन पर संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, पाकुड़ से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक.....१५/५/१६..... को रखे। <i>[Signature]</i> अंचल अधिकारी, पाकुड़।	
१५/५/१६	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित। इन्होंने प्रतिवेदित किया है मौजा-पाकुड़ के थाना संख्या-१२८, खाता संख्या-५७७, के अंतर्गत खेसरा संख्या-१०५७, रकवा-००बी०-०९क०-०१धु०, भूमि किस्म भूमि-“उदवास्तु” कहकर खतियान में दर्ज है। आवेदक श्री मृणाल कान्ति दुबे, पिता-स्व० सुभाष चन्द्र चक्रवर्ती(दुबे), सा०-राजापाड़ा, थाना-पाकुड़, ने उक्त कुल भूमि में से रकवा-००बी०-००क०-५१/२धु० निबंधित केवाला संख्या-३९७, दिनांक-३१.०१.०८ के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज से यह भूमि क्रय की गई है। संबंधित भूमि पर आवेदक का मकान बना हुआ है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा उक्त भूमि का आवेदक के पक्ष में लगान धार्य की स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र-M की तीन प्रतियों में प्रतिवेदन -सह- प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उपरोक्त भूमि का अनुशंसित लगान १०.०० रुपये प्रति बिघा अलावे शेष प्रस्तावित है। अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होते हुए आवेदक श्री मृणाल कान्ति दुबे, पिता-स्व० सुभाष चन्द्र चक्रवर्ती (दुबे), सा०-राजापाड़ा, थाना-पाकुड़, जिला-पाकुड़ के द्वारा मौजा-पाकुड़ के थाना संख्या-१२८, खाता संख्या-५७७, के अंतर्गत खेसरा संख्या-१०५७, रकवा-००बी०-००क०-०१धु०, भूमि किस्म भूमि-उदवास्तु के लगान धार्य की स्वीकृति हेतु संबंधित अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया जाता है। अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे। <i>[Signature]</i> अंचल अधिकारी, पाकुड़।	